बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
—::संकल्प::—::—

श्री सुभाष राय, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार सम्प्रति सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा इन्हें अधिसूचना संख्या—1834—सह—पठित ज्ञापांक 1835 दिनांक 08.11.2022 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 के सुसंगत प्रावधान के तहत संसूचित दंड "पेंशन से अगले तीन वर्षों तक 10 प्रतिशत की कटौती" के विरूद्ध पुनर्विचार याचिका दिनांक 30.11.2022 दायर की गयी है।

2. श्री सुभाष राय, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार के विरूद्ध जल संसाधन विभाग अन्तर्गत अपर महानन्दा योजना फेज—1 के अधीन केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत महानंदा नदी के बाएँ एवं दाएँ तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढीकरण एवं ब्रीक सोलिंग कार्य (वर्ष 2010—2014) में प्रावधानों के विपरीत प्राक्कलन गठन से कार्यान्वयन तक बरती गयी अनियमितता के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा की गयी अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा के आलोक में श्री राय को अधिसूचना संख्या—1339—सह—पठित ज्ञापांक 1340 दिनांक 07.05.2019 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

3. साथ ही श्री राय के विरूद्ध जल संसाधन विभाग के स्तर से गठित आरोप पत्र को ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पुनर्गठित करते हुए संकल्प ज्ञापांक 1344 अनु0 दिनांक 08.05.2019 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

4. श्री राय के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति के उपरान्त अधिसूचना संख्या—1834—सह—पठित ज्ञापांक 1835 दिनांक 08.11.2022 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 के सुसंगत प्रावधान के तहत पेंशन से अगले तीन वर्षों तक 10 प्रतिशत की कटौती की शास्ति अधिरोपित की गयी।

5. श्री राय द्वारा समर्पित पुनर्विचार याचिका दिनांक 30.11.2022 में मुख्य रूप से निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है:—

(i) इस योजना का प्राक्कलन कनीय अभियंता के द्वारा तैयार किया गया था तथा अंततः गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की सहमति के उपरान्त इसके प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियाँ द्वारा दी गई थी। वे उस समय बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत थे।

(ii) प्राक्कलन में स्वीकृत मद सं0—5 एवं मद सं0—9 दोनों मद स्वीकृत है, मद सं0—5 में पूर्ण रूप से Watering and Compaction के कार्य का प्रावधान किया गया है। मद सं0—09 जो प्राक्कलन में स्वीकृत है उसका कार्य बॉक्स कटिंग का है। यह मद बाँध में ब्रीक सोलिंग करने के पहले बाँध की पूरी लम्बाई तथा 03 मी० चौडाई में बॉक्स कटिंग करने का कार्य है। बॉक्स

कटिंग करने के बाद उसमें 27 से०मी० बालू भरकर उसके उपर ब्रीक सोलिंग का कार्य किया गया है। जल संसाधन विभाग के उड़नदस्ता ने अपने जॉच प्रतिवेदन में मद सं0–05 को पूर्ण Compaction के लिए योग्य माना है तथा मद सं0–09 को अतिरेक माना गया है। यही बातें संचालन पदाधिकारी भी अपने प्रतिवेदन में दिया गया है। जबकि मद सं0–05 एवं मद सं0–09 दो अलग–अलग मद है। मद सं0–05 की इकाई m^3 है, जबकि मद सं0–09 की इकाई m^2 है। स्वीकृत प्राक्कलन में उसे देखा जा सकता है ।

(iii) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 991 दिनांक 16.05.2019 के अनुसार मद सं0–09 के बारे में वरीय अभियंताओं के समीक्षोपरान्त सही पाया गया है। उनके अनुसार मद सं0–09 अतिरिक्त मद नहीं है। इस मद का निर्माण बहुत ही आवश्यक कार्य है। इस मद की इकाई m^2 है। मद सं0–9 में Compaction का दर स्वीकृत हो गया है, जिसके कारण संवेदक 53.52 लाख रू0 की राशि का अधिक भुगतान हो गया था, जिसकी वसूली संवेदक के अन्तिम विपत्र से कर ली गई है, राशि की एक मुस्त वसूली हो जाने के कारण सरकार को आर्थिक क्षति नहीं हुई है। जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 991 दिनांक 16.05.2019 के आधार पर ही उन्हें निलंबन से मुक्त किया गया है। मद सं0–09 को उड़नदस्ता के जॉच प्रतिवेदन तथा संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर अतिरिक्त मानते हुए उन्हें दण्ड दिया जाना न्यायसंगत नहीं है।

(iv) उड़नदस्ता प्रमंडल (कार्यपालक अभियंता स्तर के पदाधिकारी) के द्वारा प्रतिवेदित अतिरेक मद को तकनीकी रूप से सही ठहराया गया, जबकि जल संसाधन विभाग के वरीय अभियंता (अभियंता प्रमुख) द्वारा उड़नदस्ता के जॉच से असहमति जतायी। मामले में जल संसाधन विभाग का स्पष्ट मंतव्य है कि उड़नदस्ता द्वारा जो अनियमितता प्रतिवेदित की गयी है वह वरीय अभियंता के समीक्षोपरान्त पूर्णतः तकनीकी रूप से सही नहीं कहा जा सकता है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि उड़नदस्ता द्वारा बताये गये अतिरेक मद के किये गये भुगतान की एकमुश्त वसूली संवेदक के अंतिम विपत्र से कर ली गयी है। अर्थात् सरकार को कोई आर्थिक क्षति नहीं हुई है।

6. श्री राय द्वारा समर्पित पुनर्विचार याचिका दिनांक 30.11.2022 की समीक्षा अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री राय द्वारा ऐसा कोई अतिरिक्त साक्ष्य/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो कि इनके द्वारा प्रस्तुत पूर्व के बचाव बयान से अतिरिक्त या भिन्न है। श्री राय उक्त योजना के क्रियान्वयन के साथ–साथ प्राक्कलन के गठन से संबंद्ध रहे हैं, जो प्राक्कलन पर इनके हस्ताक्षर से स्पष्ट है।

7. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री राय के पुनर्विचार याचिका दिनांक 30.11.2022 को अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

8. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सुभाष राय, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार सम्प्रति सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पुनर्विचार याचिका दिनांक 30.11.2022 को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

27/8/25

(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–366/2018 9269 /पटना, दिनांकः– 28.8.25

प्रतिलिपि :–प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

27/8/25
अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ०प्र०–1–366/2018 9269 /पटना, दिनांक :– 28.8.25

प्रतिलिपि :–महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्रैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/8/25
अवर सचिव

ज्ञापांकः–2/अ०प्र०–1–366/2018 9269 /पटना/दिनांकः– 28.8.25

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लधु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (स्थापना प्रभारी), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री सुभाष राय, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार सम्प्रति सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना। पत्राचार का पता–हथुआ कोठी, रामजीचक, दीघा, बाटागंज, पटना–800018 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/8/25
अवर सचिव